

# उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

पत्रांक :- 41 / जि०यो०, दिनांक :- 19/02/2020

## इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI-II)

(अल्पकालीन)

लातेहार जिला में नव प्रवर्तन निधि (DIF) अन्तर्गत **Supply, Installation and Maintenance of Smart Classroom in 35 Government Schools in Latehar, Jharkhand** के लिये सुयोग्य कम्पनी/ निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संस्थानों से दिनांक 02/03/20 को समय 1:00 बजे अपराह्न तक इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्रति विद्यालय	कुल कर्णांकित राशि
1	जिला के विभिन्न 35 विद्यालयों में Smart Classroom का अधिष्ठापन।	1,48,468.57	51,96,400.00

नोट :- परियोजना का Detailed Specification, Term and Conditions आदि विवरणी लातेहार जिला के वेबसाईट [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर देखा जा सकता है।

2. सभी ईच्छुक सुयोग्य कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को अलग-अलग मुरहबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव समर्पित करना होगा :- (सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित होनी चाहिए)

(क) तकनीकी प्रस्ताव :-

(i) कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संस्थानों का प्रोफाइल एवं निबंधन प्रमाण-पत्र। (ii) GST निबंधन प्रमाण-पत्र। (iii) सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान में Smart Classes का अधिष्ठापन एवं प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम तीन कार्यदेश। (iv) पिछले तीन साल का ITR एवं पैन कार्ड की छायाप्रति। (v) पिछले तीन साल का Audit प्रतिवेदन। (vi) वार्षिक न्यूनतम 2.00 (दो) करोड़ रु० Turnover सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (vii) अग्रधन की राशि 2.00 लाख रु० का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से संलग्न करना होगा। (viii) राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/बोर्ड/निगम/संस्थानों आदि द्वारा काली सूची में नहीं रखने संबंधी नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र।

(ख) वित्तीय प्रस्ताव :-

(i) समाग्रियों का Make एवं लागत का उल्लेख करते हुए एक विद्यालय में प्रोजेक्ट का कुल लागत जिसमें GST आदि की राशि भी सन्निहित रहेगी।

(ग) उपरोक्त दोनों ही शीलबंद लिफाफा एक तीसरे लिफाफा में शीलबंद करेंगे जिसके उपर अपना पता एवं मोबाईल नं० अंकित करेंगे।

3. इच्छुक संस्थान दिनांक 02/03/20 के अपराह्न 1:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, लातेहार में निबंधित डाक, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद लिफाफे जमा कर सकते हैं तथा उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला चयन समिति के समक्ष चयन हेतु विस्तृत चर्चा की जायेगी।

ज्ञापांक :- 41 / जि०यो०, दिनांक :- 19/02/2020

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त Expression of Interest प्रस्ताव सूचना को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस Expression of Interest के साथ Detailed Specification, Term and Conditions को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।




**Detailed Specification, Term and Conditions and Maximum Cost Permissible for Supply, Installation and Maintenance of Smart Classroom in 35 Government Schools in Latehar, Jharkhand. (Innovative Jharkhand)**

SN.	Item of Description
1	<b>Interactive Computing Device :</b> Processor-Intel Pentium Dual Core Processor & above, System Memory (RAM)-2GB minimum, Storage- 500GB, Wi-Fi Enabled, Intel HD Graphic, Bluetooth 4.0, LAN Port, Minimum 2 USB ports, HDMI out, VGA out, Audio- minimum 10 watts, Pre-loaded with Windows 10, 64 Bit, Inbuilt Inactivity features: Simultaneous Touch points- 255, Signal Refresh Rate- up to 200 FPS at 195 Mn dots/sec, Accuracy- +/-2px, Transmission FPS-up to 200 FPS, Calibration- Automatic Calibration, Response Time- 8ms, Power Required- DC Power, BIS certificate i) Wireless keyboard and Mouse- 1 Qty each. ii) External Hard Disk 1TB- 1 Qty. iii) Additional Branded Bluetooth or simple Speaker 30 watt with woofer set- 1 Qty. iv) Multimedia Content mapped to NCERT and Jharkhand Board Content curriculum from class 1- 12 <sup>th</sup> in Hindi and English- 1 Qty.
2	<b>Projector :</b> Projector system:0.55'' XGA (1024x768); Brightness : 3000lm& above; Contrast Ratio with Sleep mode : 22000:1' Lam hour (Nor./Super Eco): 4500/15000' Lamp Watt:190W; Throw ratio:1/96~2.15; Keystone :+/- 40 degree (Vertical); Optical Zoom: 1.1x; Audible Noise (Eco):29db; Speaker: 2W; RGB in (Share with component)-2, Audio-in (3.5mm):1; HDMI:2 (HDMI 1.4); Resolution support: VGA (640x480) to Full HD (1920x1080); Output : VGA & Audio out; Control: RS32; Feature Map: Super Color, 3D ready, V Keystone, Auto Power On- Signal Power on by VGA 1; Smart Energy – Auto Power Off; Smart Energy – Sleep Timer; Smart Energy- Power Saving; Quick Power Off; Password Protection (Power on lock)
3	i) Online UPS with minimum 1/2 hours (30 minutes) backup. ii) White Board 6'x4' matfinish. iii) Ceiling mounting of Projector with cabling and wiring.
4	<b>Electrical Work :</b> Earthing- Earthing should be below 2 Volts with copper plate, and electrode with copper wire with main switch and connected through UPS. The copper plate has been buried with the necessary depth in the soil, along with required quantity of salt, sand and charcoal filling, after necessary excavation. All items to be ISO/ISI certified. <b>Note :</b> One room for smart class with interactive device.
5	<b>Teacher Training :</b> Minimum 3 teachers per school to be trained for initially 5 days and 2 days refresher training on quarterly basis for subsequent 2 years.

**सामान्य शर्त :-**

- All applicants will give a 10 minute demonstration of Smart Class and content.
- अगले तीन साल तक NCERT/JCERT द्वारा अपने पाठ्यक्रम में संशोधन करने पर एजेंसी को भी अपने Content update करने होंगे।
- एजेंसी/संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सभी सामग्री ब्रान्डेड कम्पनी से निर्मित उपकरणों/कम्प्यूटर/किट आदि की तीन साल की Onsite वारंटी अथवा गारंटी देनी होगी।
- उपकरणों/किटों की आपूर्ति सभी निर्धारित विद्यालयों में आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- चयनित संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों पर नियमानुसार GST की कटौति कर शेष राशि की भुगतान की जायेगी।
- जिला चयन समिति को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार, स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिला क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी भी न्यायलय में वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
- सामग्रियों की आपूर्ति करने के पहले किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगी। सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं प्रशिक्षण के उपरान्त संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), लातेहार, जिला परियोजना पदाधिकारी (UIDAI), लातेहार एवं संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की समिति से सामग्रियों की मात्रा एवं गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अवशेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान की जायेगी।
- परियोजना मानक अनुरूप पूर्ण नहीं करने पर सम्पूर्ण राशि Public Demand मानते हुए बिहार एवं उड़ीसा रिकभरी एक्ट के तहत वसूलनीय होगी।

  
 उपायुक्त, लातेहार  
 15/02/2020